कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगवा–अलवर
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर,–जयपुर)
पिन–301025

क्र.सं. एफ / फाम / कृअकेनो / 2018 / 5044–51 दिनांक 18.09.2018

खुली निविदा सूचना

इस कार्यालय द्वारा पंजीकृत ठेकेदारों / प्लेसमेंट एजेंसियों से कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावा–अलवर पर अकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों की आपूर्ति हेतु एक वर्ष के लिए दर संविदा हेतु सीलबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं । इच्छुक फर्म अपनी निविदा दिनांक 27.9.2018 को मध्यान्ह 01.00 बजे तक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं जो कि दिनांक 27.9.2018 को 2.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख खोली जावेगी, निविदा प्रपत्रों की बिक्री दिनांक 27.09.2018 को दोपहर 12.00 बजे तक की जावेगी

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	अमानत राशि	निविदा विक्रय मूल्य
1	अकुशल, कुशल व उच्च कुशल श्रमिकों की आपूर्ति हेतु	2.50 लाख	5000.00	200.00

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावा–अलवर
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर–जयपुर)

Email- zdr.navgaon@sknau.ac.in

क्र.सं. एफ/फार्म/कृअकेनो/2018/5044–51 दिनांक 18.09.2018

खुली निविदा सूचना

पंजीकृत ठेकेदारों/प्लेसमेंट एजेंसियों से कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावा–अलवर पर अकुशल, कुशल व उच्च कुशल श्रमिकों की आपूर्ति हेतु एक वर्ष के लिए दर संविदा हेतु सीलबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं । निविदा की अनुमानित लागत 2.50 लाख है । निविदा प्रपत्र 200/- नगद या बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जमा करवाकर इस कार्यालय से दिनांक 27.9.2018 को दोपहर 12.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती हैं। निविदा प्रपत्र दिनांक 27.09.2018 को दोपहर 01.00 बजे तक जमा करा सकते हैं। प्रपत्र दिनांक 27.09.2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। निविदा के साथ बोली प्रतिभूति राशि 2 % 5000/- dk बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जमा करवाना आवश्यक होगा जो ZDR,ARS,Navgaon के पक्ष में देय हो, इसके अभाव में निविदा पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा । निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का समस्त अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा । निविदा की समस्त शर्तें व जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.sknau.ac.in व spp.rja.nic.in पर उपलब्ध होगी ।

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर ।
2. श्रीमान कुल सचिव, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर ।
3. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेज कर निवेदन है कि दिनांक 27.09.2018 को अपने नामित सदस्य को भेजने का श्रम करावें ।
4. श्रीमान कोषाधिकारी श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर ।
5. कमेटी कन्वीनर/सदस्य/लेखाशाखा/..
6. प्रभारी, सिमका श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट www.sknau.ac.in व http://sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।
7. फार्म इन्चार्ज/फार्म मैनेजर/स्टोरकीपर फार्म/कैशियर/लेखा शाखा/नोटिस बोर्ड कृ0 अनु0 के0 नौगावा
8. रक्षित फाइल ।

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

AGRICULTURAL RESEARCH STATION
(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner, Jaipur)
Navgaon – 301025, ALWAR (Raj.)

01468-275279 (O)
01468-275216 (Fax)
Email:
zdr.navgaon@sknau.ac.in

निविदा प्रपत्र

निविदा की अनुमानित लागत 2.50 लाख

1. निविदा प्रपत्र की कीमत 200/–राशि रसीद सं0..............दिनांक ..../डी.डी./बैंकर्स चैक सं0........... दिनांक ....
2. निविदा क्र.सं. /फार्म/कृअकेनो/2018/ दिनांक 18.09.2018
3. परिशिष्ट संख्या – 01 निविदा की शर्ते ।
4. परिशिष्ट संख्या – 02 विभिन्न श्रेणी के श्रमिक कार्यों का निविदा प्रपत्र।
5. परिशिष्ट संख्या – 03 विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण प्रपत्र।
6. निविदा प्राप्त करने की दिनांक – 27.09..2018 को दोपहर 12.00 बजे तक ।
7. निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि – 27.09.2018 को दोपहर 01:00 बजे तक। ।
8. निविदा खोलने की दिनांक – 27.09.2018 को दोपहर 02.00 बजे ।
9. पत्राचार हेतु पता – क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृ0 अनु0 केन्द्र, नौगावा–अलवर पिन–301025 मोबाईल–9413908805

निविदा हेतु शर्ते

परिशिष्ट संख्या–1

1. प्रस्तावित निविदा मौहरबन्द होनी चाहिए। निविदा का विवरण लिफाफे के ऊपर साफ लिखकर क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान , कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावा–अलवर स्पष्ट लिखकर कार्यालय में प्रस्तुत करें ।
2. प्रस्तावित दर अंकों में स्पष्ट लिखकर देना होगा किसी भी प्रकार की काट छांट होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
3. निविदादाता/फर्म का केन्द्र/राज्य सरकार के श्रम विभाग के अधिनियमों के प्रचलित नियमों के अन्तर्गत पंजीकरण होना वांछित है। पंजीकरण संख्या व उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है।
4. निविदादाता/फर्म पिछले तीन साल का टर्नओवर प्रमाण पत्र सी.ए. से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करें ।
5. प्रस्तावित दर देने से पूर्व समस्त प्रविष्टि को ध्यानपूर्वक पढ़े एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। अन्यथा अधोहस्ताक्षरकर्ता को निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
6. निविदा प्रपत्र कार्यालय में कार्य दिवस में 200/– जमा करा कर प्राप्त किया जा सकता है।

7. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ मे किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई. एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एंव दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए इस संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. केन्द्र पर किसी प्रकार के सामान आदि की चोरी एवं क्षति की भरपाई ठेकेदार द्वारा की जावेगी । सामान की क्षतिपूर्ति नहीं करने पर उसकी अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी तथा उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
9. अगर निविदादाता/फर्म अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोडता है व श्रमिकों को भुगतान नहीं करता है या कार्य संतोषजनक नहीं करने पर उसको इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार इस ठेके से हटाया जा सकता है तो उसके द्वारा जमा अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।
10. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा ।
11. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एंव उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एंव कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली मे भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ इस संस्था को प्रस्तुत की जायेगी ।
12. यदि इस संस्था को अंशकालिक (Part–time) मानव संसाधनों की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिए आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा बिड सम्बन्धी कार्रवाई की जावेगी । ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेंगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरूद्ध न्यूनतम मजदूरी का गणना श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी ।
13. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर मे श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर इस संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा ।
14. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते मे जमा कराई राशि का विवरण इस संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रेमिको के बैंक खातो में जमा कराई गई राशि के विवरण के बाबत इस संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
15. विश्वविद्यालय द्वारा निविदादाता/फर्म के श्रमिक बिलों के भुगतान में अगर किसी कारणवश देरी होती है तो भी श्रमिकों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक भुगतान करना आवश्यक होगा अन्यथा देरी से भुगतान करने की शिकायत पर Rs. 500/– प्रतिदिन के हिसाब से अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, भरतपुर में शास्ति (पेनल्टी) की राशि जमा करवानी होगी। भुगतान देरी से होने पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
16. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
17. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी. एफ. एंव ई.एस.आई. जमा कराना होगा । जिसमे नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा । संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा ।
18. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display boards लगाये जायेंगे,जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिको हेतु Helpline नम्बर एंव संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा ।
19. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा ।

20. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी । संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गयें वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान के प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नही किया जायेगा । उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
21. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों ,उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों ,उपनियमों व अधिसूचनाओं दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक स्वंय उत्तरदायी होगा।
22. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गयें श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एंव राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एंव उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
23. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिए जाने पर औधौगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा ।
24. फर्म/प्लेसमेंट ऐजेंसी की RTPPA 2012, RTPPR 2013 एवं GR&AR में उपलब्ध प्रावधान की पालना करनी होगी तथा उल्लंघन पर प्रावधानानुसार कार्यवाही/शास्ती/पेनल्टी वसूली जावेगी ।
25. श्रमिकों को लाने, ले जाने, आदि कार्य व अन्य श्रमिक क्षति होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
26. चौकीदार/लेवर आदि अपनी उपस्थिति प्रत्येक माह कार्य से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से सत्यापित करायेगा। अधिकारी/कर्मचारी के सत्यापन के पश्चात् ही उस माह का मानदेय देय होगा।
27. किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद का न्यायिक क्षेत्र अलवर होगा।
28. किसी भी शर्त की पूर्ववत पालना न होने पर निविदा किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
29. माहवार कार्य की गणना 26 दिवस (श्रम विभाग राजस्थान सरकार अधिसूचना क्रमांक/एफ. 5 (6)/न्यू.म./श्रम/2000/ पार्ट/1125 दिनांक 16.01.2018) के हिसाब से की जावेगी ।
30. नियमानुसार टीडीएस काटा जावेगा।
31. निविदा प्रपत्र भरने हेतु आधार/पैनकार्ड होना आवश्यक है (जिसकी स्व हस्ताक्षरित सत्यापित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें)।
32. निविदादाता/फर्म को 2 प्रतिशत (BID SECURITY) के रूप में Rs. 5000/- एवं सफल निविदादाता/फर्म को 3 प्रतिशत कार्य निष्पादन राशि Rs. 7500/- (PERFORMANCE SECURITY) ZDR, ARS, Navgaon –Alwar के पक्ष में डीडी व बैंकर्स चैक द्वारा कार्यालय में जमा कराने होंगे।
33. ड्राईवर आदि की आपूर्ति में ड्राईवर का लाइसेंस हैवी हो एवं सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित होना चाहिए
34. कार्यों का भुगतान संतोषजनक होने पर ही हर एक माह का भुगतान देय होगा किसी भी लापरवाही के चलते दैनिक वेतन काटने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
35. किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यदि श्रमिक कार्यालय से अनुपस्थित पाया जाता है या कार्य में लापरवाही पायी जाती है तो उसके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
36. समस्त कार्य प्रशासनिक कार्यालय, विभागाध्यक्ष की देखरेख में व अधोहस्ताक्षरकर्ता के निर्देशानुसार करना होगा।
37. उपरोक्त शर्तों की सहमति दो गवाहों से सत्यापित करवाकर Rs. 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टांप शपथ पत्र पर लिखकर कार्यालय में देना होगा।
38. यह ठेका किसी अन्य फर्म को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा तथा जिस फर्म के नाम ठेका है वही कार्य करेगी अन्य कोई नहीं। फर्म खुद श्रमिक लगाकर इन कार्यों को करवा सकती है जिसका भुगतान फर्म अपने स्वयं के मासिक भुगतान में से करेगी।

39. सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु प्रपत्र में दी गई दरें एक वर्ष तक के लिए मान्य होंगी, जिसे आपसी सहमति से 3 माह के लिए प्रचलित दरों पर बढ़ाया जा सकता है।
40. किसी भी ब्लैक लिस्टेट फर्म व जिस फर्म का पूर्व में किसी भी तरह किसी संस्था व इस केन्द्र द्वारा उसका भुगतान काटा गया हो तो वह इस कार्य के ठेके में अपना आवेदन नहीं कर सकता।
41. निविदादाता अपने आवश्यक कार्यो एवं पारी बदलने हेतु दूसरा श्रमिक कार्यालय को उपलब्ध करा सकता है इस वास्ते फर्म को लिखित में दूसरे व्यक्ति की अनुमति व नाम ठेके के दस्तावेजों में व इस वास्ते अलग–अलग समय पर अनुमति लेनी होगी ।
42. समस्त भुगतान स्वीकृत फर्म/प्लेसमेंट ऐजेन्सी को चैक/NEFT द्वारा किया जावेगा ।
43. श्रमिकों को संबंधित कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक उपलब्ध करवाने बाबत इस कार्यालय द्वारा अग्रिम राशि देय नहीं होगी ।
44. कार्यालय में श्रमिक आवश्यकतानुसार ही लगाएंगे जाएंगे व नियोजित करने का अधिकार इस कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। विश्वविद्यालय द्वारा स्थाई कर्मचारियों की नियुक्ति होने पर उन श्रमिकों को हटाया जा सकता है ।
45. मैं उपरोक्त शर्तों को पूर्ण करने हेतु पाबन्द रहूंगा ।
46. उक्त शर्तों को अध्ययन कर स्वीकार करने के रूप में फर्म/प्लेसमेंट ऐजेन्सी हस्ताक्षर एवं मौहर करदी है ।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मौहर

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

पता———————————

———————————

मो.नं. ———————————

नोट– निविदा दो लिफाफा पद्धति में प्रस्तुत की जावेगी–

1. लिफाफा नं0 1 में फर्म/प्लेसमेंट ऐजेन्सी पंजीयन प्रमाण पत्र **ESI/PF** रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, बोली प्रतिभूति राशि **Rs. 5000**/– का **DD/BC** तथा **GST** पंजीयन प्रमाण पत्र एवं शर्तें इत्यादि प्रस्तुत की जानी है । इसके अपूर्ण होने पर लिफाफा नं0 2 नहीं खोला जावेगा ।
2. लिफाफा नं0 2 में केवल दर प्रपत्र प्रस्तुत किया जाना है ।

परिशिष्ट संख्या – 02

निविदा प्रपत्र

कार्यालय की खुली निविदा क्र.सं. एफ/फार्म/कृअकेनो/2018/5044–51 दिनांक 18.09.2018 केन्द्र पंजीकृत ठेकेदारों/प्लेसमेंट एजेंसियों से कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावा–अलवर पर अकुशल, कुशल व उच्च कुशल श्रमिकों की आपूर्ति हेतु एक वर्ष के लिए दर संविदा हेतु खुली निविदा –

संवेदक के माध्यम से सेवाओं के उपापन के लिये निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेंगीः–

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत (यदि लागू हो तो)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	केन्द्र पर विभिन्न कार्य, कृषि कार्य हेतु श्रमिक, सफाई कर्मी	अकुशल	213/– प्रतिदिन एवं 5538/– प्रति माह		12.5 %	4.75 %				
2	हल्के व भारी वाहनों व ट्रैक्टर के ड्राईवर, टाईपिस्ट, आदि	कुशल	233/– प्रतिदिन एवं 6058/– प्रति माह		12.5 %	4.75 %				
3	कम्प्यूटर आपरेटर, आदि	उच्च कुशल	283/– प्रतिदिन एवं 7338/– प्रति माह		12.5 %	4.75 %				

(उपर्यक्त तालिका मे स्तम्भ संख्या 1–4, 6 व 7 की पूर्तियां इस संस्था द्वारा की जाकर बोली दस्तावेज में ही उपलब्ध कराई जायेगीं तथा शेष स्तम्भ संख्या 5, 8 एंव 9 मे ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां की जा सकेगीं)

दिनांक–

हस्ताक्षर मय मोहर

कार्यालय की खुली निविदा क्र.सं. एफ/फार्म/कृअकेनो/2018/5044–51 दिनांक 18.09.2018 केन्द्र पंजीकृत ठेकेदारों/प्लेसमेंट एजेंसियों से कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावा–अलवर अकुशल,, कुशल, उच्च कुशल श्रमिकों की आपूर्ति हेतु एक वर्ष के लिए दर संविदा हेतु खुली निविदा –

बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा :–

क्रं. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एंव उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एंव सेवा कर (GST)				
5.	आय कर (पैन नंबर)				
6.	राजस्थान दुकान एंव वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्यिन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अर्न्तगत या इण्यिन कम्पनी एक्ट 1956 के अर्न्तगत				

दिनांक–

हस्ताक्षर मय मोहर

<u>शपथ पत्र</u>

मैं..पुत्र/पत्नी श्री..उम्र...........................

जाति............................ निवासी..

का निवासी हूं मैं शपथपूर्वक बयान करता हूॅं कि :–

1. यह है कि मैं कार्यालय की निविदा पत्र में दी गई सभी भार्तों 1 से 46 पर कार्य करने हेतु सहमत हूं ।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

<u>सत्यापन</u>

मैं उपरोक्त शपथकर्ता भापथ पत्र को अपनी निजी जानकारी व पूर्ण होशोहवाश में सत्य होना तस्दीक करता हूं ।

वमुकाम.......................

हस्ताक्षर शपथकर्ता